(विविध प्रकरण संख्या :– 79/2024
अनवान अमन कुमार बनाम शंकर लाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 79/2024

अमन कुमार पुत्र शंकर लाल जाति जाट आयु 33 वर्ष निवासी गांव 3 के, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. शंकर लाल पुत्र काहना राम जाति जाट आयु 66 वर्ष निवासी गांव 3 के, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती भागवन्ती देवी पत्नी शंकर लाल जाति जाट आयु 62 वर्ष निवासी गांव 3 के, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. राजेश पुत्र शंकर लाल जाति जाट आयु 34 वर्ष निवासी गांव 3 के, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री चन्द्रकान्त यादव अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री सीता राम सुथार — अप्रार्थी संख्या–1 ता 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08.08.2025

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त अनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है और उक्त निर्णय प्रार्थी के पक्ष में होने की पूरी पूरी संभावना है। ग्राम 5 के पटवार हल्का 4 के भू० अभिलेख नि०क्षेत्र मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 52/32 के मुरब्बा नं0 13, 14 में कुल रकबा 3.7950 है0 कृषि भूमि में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल के न[illegible] हिस्सा यानि 1.265 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में बतौर [illegible] है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] 3.7950 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के परदादा सरदारा राम पुत्र जैसा राम के नाम से दर्ज थी, जिसका इंतकाल संख्या 92 मुरब्बा नं० 17 राज[illegible] अभिलेख में दर्ज है। इंतकाल की प्रति संलग्न हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के परदादा के नाम से दर्ज उक्त भूमि हिन्दू उतराधि कार अधिनियम के मुताबिक प्राप्तशुदा सम्पति है, जिसमें प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी के परदादा को उक्त सम्पति पारिवारिक पैतृक बंटवारा में से उक्त भूमि प्राप्त हुयी थी और उसके पश्चात् उनके द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का पारिवारिक समझौता व बंटवारा करके उक्त भूमि का प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल व उनके भाईयो क्रमशः श्योपतराम व भागीरथ के नाम से रजिस्टर्ड बैयनामा उनके पक्ष में करवा दिया गया, उस समय प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 की आयु बहुत कम थी, लेकिन पारिवारिक सहमति से उक्त भूमि का प्रार्थी के परदादा द्वारा प्रार्थी के पिता व उनके भाईयो को सुपुर्द कर दी थी, ताकि उनको भविष्य में सम्पति के संबंध में कोई वाद–विवाद न होवे। उक्त सम्पति हिन्दू उताराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने के कारण एवं संयुक्त आय से अर्जित होने के कारण प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल के नाम से दर्ज 1.265 है0 भूमि में प्रार्थी का जन्म से 1/3 हिस्सा बनता है और प्रार्थी उक्त सम्पति में से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल प्रार्थी का पिता है, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है :–

शंकर लाल– स्वयं

1. भागवंती देवी – पत्नी 2. राजेश – पुत्र 3. अमन कुमार–पुत्र

इस प्रकार से उक्त वारिसों के अलावा अन्य कोई वारिस प्रार्थी के पिता के नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक वाद–विवाद होने के कारण हमारे द्वारा उक्त कृषि भूमि का मौखिक रूप से समझौता कर लिया गया था। पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार प्रार्थी के हिस्सा में 1/3 हिस्सा प्रत्येक को कृषि भूमि आई हुई है, उसी अनुसार प्रार्थी अपने हिस्सा पर काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रकबा दर्ज होने के कारण, प्रार्थी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी अपने हक की 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है तथा हिस्सानुसार में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से प्रार्थी अपने नाम कायम करवाना चाहता है। राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.5 (1) राज–6/97/10 जयपुर दिनाक 08.09.1997" अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि "हिन्दू उताराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि मे जन्म से ही अधिकार है इसलिये पुत्र अपने पिता के नाम की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही इन प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि प्राप्त का अधिकारी है।" उक्त प्रावधान के अनुसार ही प्रार्थी अपने पिता की सम्पति में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है। जिससे वह अधिक लाभ प्राप्त कर सके प्रार्थी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य इसी कृषि भूमि पर निर्भर करता है यदि अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि खुर्द बुर्द कर देता है तो प्रार्थी का [illegible] बर्बाद हो जावेगा। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का [illegible] अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के लिए माननीय [illegible] समक्ष वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी [illegible] पास शेष नहीं रह गया। प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि पारिवारिक सम्पति बंटवारा के अनुरूप 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा प्रत्येक का अपने नाम दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 हर समय टाल–मटोल करता रहा है और 10 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। उसी रोज प्रार्थी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। प्रार्थी अप्रार्थीगण से पृथक अपने परिवार व बच्चो के साथ निवासरत है और अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यदि अप्रार्थीगण एकराय होकर, उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर देत है तो प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा और प्रार्थी व उसके परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा व प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019(3) सी जे सिविल पेज नं० 886 में प्रतिपादित किया गया है कि "किसी हिन्दू पुरूष द्वारा अपने पैतृक पुरूष से प्राप्त सम्पतियों उसके स्वयं एवं उसके नीचे की तीन पीढ़ी तक उतरवर्ती पुरूषो की सहदायिकी सम्पति होगी तथा जो कि विभाजन के बाद भी सहदायिकी ही बनी रहेगी। इसी प्रकार से 2018(2)सी जे सिविल सुप्रीम कोर्ट पेज 559 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी सम्पति जो पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता अर्थात पिता, दादा आदि के पुरुष वंश की पीढ़ियो से न्यायगत होती है वह पैतृक सम्पति है। इसी प्रकार से 2018 डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज नं0 826 में भी न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि '*Concept of Ancestral Property Property inherited by a Hindu from his father, father's father or father's fathers' father, is ancestral property. Any property acquired by the Hindu great grand father, which then passes undivided down the next three generations up to the present generation of great grand son/daughter."*

इस प्रकार से उक्त भूमि में प्रार्थी अपने पिता से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। कृषि भूमि के संबंध में समस्त कार्यवाही करने हेतु राजस्व न्यायालय को अधिकार हासिल है तथा कृषि भूमि के अभिलेख, राजस्व अभिलेख की देखरेख, कार्यो इत्यादि में परिवर्तन/अंकन, खातेदारो की समस्त सुविधाएं इत्यादि के संबंध में अधिकारिकता राजस्व न्यायालय को हासिल है। इस कारण उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक मतभेद व वाद–विवाद होने के कारण, अप्रार्थीगण अक्सर प्रार्थी व उसके परिवार की काश्त में दखलअदांजी कर रहे है एवं वाद–विवाद करते रहते है तथा प्रार्थी की अत्यधिक पैदावार भूमि पर अवैध कब्जा करने के आश्य से भूमि की विषयवस्तु के संबंध में परिवर्तन करने पर आमादा है। राईट एवं टाईटल प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार, इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण मूल प्रकरण के निस्तारण तक ग्राम 5 के, पटवार हल्का 4 के, भू0 अभिलेख नि०क्षेत्र मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 52/32 के मुरब्बा नं0 13, 14 में कुल [illegible] जिसमें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल के नाम से 1 [illegible] 1.265 है0 भूमि के संबंध में मौका एवं रिकार्ड की [illegible] भूमि में हस्तक्षेप न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(विविध प्रकरण संख्या :– 79/2024
अनवान अमन कुमार बनाम शंकर लाल

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल के नाम से 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में बतौर काश्तकार की हैसियत से दर्ज है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित 3.7950 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के परदादा सरदारा राम पुत्र जैसा राम के नाम से दर्ज थी, जिसका इंतकाल संख्या 92 मुरब्बा नं० 17 राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इंतकाल की प्रति संलग्न है। उक्त भूमि प्रार्थी के परदादा के नाम से दर्ज उक्त भूमि हिन्दू उतराधि कार अधिनियम के मुताबिक प्राप्तशुदा सम्पति है, जिसमें प्रार्थी का का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल के नाम से दर्ज 1.265 है0 भूमि में प्रार्थी का जन्म से 1/3 हिस्सा बनता है और प्रार्थी उक्त सम्पति में से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि खुर्द बुर्द कर देता हैं तो प्रार्थी का जीवन बर्बाद हो जावेगा। अतः अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल के नाम से 1/3 हिस्सा यानि 1.265 है0 भूमि के संबंध में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी प्रकार से उक्त भूमि में हस्तक्षेप न करें। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रहीं कि** उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जीत भूमि है, जिसका उपयोग व उपभोग बाबत अप्रार्थी को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध स्थगन जारी किये जाने से अप्रार्थी को बडी परेशानियों का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित 3 बिन्दुओं पर विचार करना होगा :–

(1) <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में परिवार के सदस्यों के मध्य प्रश्नगत भूमि का विवाद है। प्रस्तुत जमबंदी चक 5 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/17 इन्तकाल दिनांक 31.08.1974 के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 के अपने दादा सरदारा राम से उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.265 हैक. भूमि में प्रार्थी 1/3 हिस्सा कृषि भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि सम्पत्ति का विवाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 (परिवार के सदस्यों के)मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक एवम् विवेचन के आधार पर [illegible] के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

(2) <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति</u> [illegible] लिए दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक [illegible] दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। पारिवारिक सम्पत्ति [illegible]जन के अनुसार प्रार्थी के हिस्सा में 1/3 हिस्सा प्रत्येक को कृषि भूमि आई हुई है, उसी अनुसार प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपने हिस्सा पर काबिज है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होता है। ऐसी परिस्थिति में रकबा का हस्तान्तरण अथवा बेचान होता है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है एवम् प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 रकबा की हद तक रिकॉर्ड की यथास्थित बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं तो न्यायनिर्णय किये जाने में सहायक होगा।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि चक 5 के पटवार हल्का 4 के भू.अ.नि. मिरजेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/32 में अप्रार्थी संख्या 1 शंकर लाल पुत्र काहना राम हिस्सा 1/3 भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थित अप्रार्थी संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 90/2024 बअनवान अमन कुमार बनाम शंकर लाल रहे।

आदेश आज दिंनाक 08.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner